

क्र० सं. 442/25

31-10-25

2025/533

पत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवानें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

~~महोदय~~ मांडल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम

जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या

मांडल + मलगाणी की

484 + 25

मेरे सनी ~~अज्ञान~~ के नाम नारायण पुत्र हीर लाल वलई डकिल है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमान को कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक-

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं मूअ निरीक्षक

महोदयजी,

मांडल व मलगाणी

2074 से 2077 के

निवेदन है कि ग्राम के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत्

खाता संख्या 484 व 25 में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र हीर लाल वलई

जिज्ञ है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी खाता 1317 मांडल +

संलग्न आधार + अन्य जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम

है। जो

मशौघत किया जाना उचित है।

नारायण लाल पुत्र हीर लाल वलई

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

मूअ निरीक्षक

पटवारी

4
प. क. नरसरा
11-10-25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा स० न० राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मांडल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के

आधार पर ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 484 एवं 25

में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र हीर लाल वलई के बजाय नारायण लाल पुत्र हीर लाल वलई किये जाने हेतु अनिश्चय की जाती है।

नारायण पुत्र हीर लाल वलई

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मलगाणी (पीलवाड़ा)

11/10/25

स०-

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मांडल व मलगाणी जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077

दिनांक-

खाता संख्या 484 25 में दर्ज प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र हीर लाल वलई के स्थान पर नारायण लाल पुत्र हीर लाल वलई

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मलगाणी (पीलवाड़ा)